न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 104/2022 निर्णय दिनांक 29.11.2024
ऑनलाईन नंबर 2022/204

1. हड़मानाराम उम्र 71 वर्ष पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मालाराम उम्र 55 वर्ष पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. कुंभाराम उम्र 63 वर्ष पुत्र किशनाराम जाति बावरी निवासी ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. ग्राम पंचायत ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण —

उपस्थितिः

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से
3. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एलआरएक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के स्थायी निवासी है। जो कि हर प्रकार से सामाजिक कार्यो में रूचि लेकर कार्य करते है तथा गांव ठुकरियासर की आबादी भूमि में जन्म से ही निवास कर रहे है। जहां इनके स्थायी मकानात 50 वर्षो से बने हुये है। यह है कि ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में सन् 1975 तक खसरा नम्बर 484 तादादी 90 बीघा 07 बिस्वा भूमि मसाणा गोचर के नाम से दर्ज चली आ रही थी। जिसका राजस्व नक्शा तरमीम किया हुआ है। सन् 1975 में उपरोक्त मूल साबिका खसरा के दो टुकड़े राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर इन्तकाल संख्या 135 के जरिये 484 मीन अलग कायम कर 50 बीघा 15 बिस्वा भूमि आबादी भूमि के रूप में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2047 में खसरा नम्बर 950/484 तादादी 50 बीघा 15 बिस्वा दर्ज हुई है शेष खसरा नम्बर 901/484 तादादी 39 बीघा 19 बिस्वा गोचर भूमि दर्ज की गई। उक्त आबादी भूमि मूल साबिका खसरा नम्बर 484 से कायम की गई है। यह है कि राजस्व रिकार्ड के साबिका खसरा नम्बर 484 की आबादी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 789 तादादी 12.84 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि स्टेट हाईवे श्रीडूगरगढ़—सरदारशहर के दक्षिण में स्थित है। जहां वादीगण व गांव के अन्य वासिन्दो के सैकड़ो मकान बने है तथा ग्राम पंचायत राजस्थान सरकार द्वारा इनको जन कल्याण योजनाओ के तहत सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्थायें की गई तथा उक्त खसरा नम्बर 789 को आबादी भूमि बताई गई है, उस पर गांव के हजारो लोग कच्चे—पक्के मकानात बनाकर निवास कर रहे है। यह है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 787 तादादी 10.0100 हैक्टेयर गै.मु. गोचर के रूप में व खसरा नम्बर 789 तादादी 12.84 हैक्टेयर गै.मु. आबादी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त दोनो ही खसरान भूमि मूल साबिका खसरा नम्बर 484 तत्पश्चात् पैमुद खसरा नम्बर क्रमशः 901/484 व 900/484 के है। मूल साबिका खसरा नम्बर 484 सन् 1959—60 के विभाजन के पश्चात् राजस्व नक्शा राजस्व कर्मचारियो, सेटलमेंट अधिकारियो ने बिना मौका निरीक्षण

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

किये, मौका कब्जा उपयोग–उपभोग वस्तु स्थिति के विरूद्ध गलत तरमीम करते हुये बसी हुई आबादी क्षेत्र की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 787 को गोचर के रूप में व गोचर के रूप उपयोग में चली आ रही वर्तमान खसरा नम्बर 789 की भूमि को गै.मु. आबादी के रूप में तरमीम कर दी। वादीगण व गांव के अन्य व्यक्ति जहां वर्तमान में काबिज है व उनके मकानात बने है जिनमें कई व्यक्तियो के पट्टे भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जा चुके है। उस आबादी क्षेत्र की भूमि को विधि विरूद्ध रूप से गलत तरमीम कर खसरा नम्बर 787 के रूप में गै.मु. गोचर के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि उक्त खसरा नम्बर 787 की भूमि पर आबादी मूल साबिका खसरा नम्बर 484 के विभाजन से पूर्व ही बसी हुई है। यह है कि प्रस्तुत दावा में अनेको अनेक ठुकरियासर गांव के वासिन्दो के हित जुड़े है। उन सब की ओर से दावा प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है, इसलिये वादीगण ने यह दावा प्रतिनिधि वाद के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें चाहा गया अनुतोष बसी आबादी निवासियो के लिये तय किया जाना है। यह है कि प्रतिवादी व उसके अधिनस्थ कर्मचारियो की लापरवाही से वादगत खसरान भूमि खसरा नम्बर 787 व 789 की भूमि का मौका कब्जानुसार तरमीम न होने से वादीगण व ग्राम ठुकरियासर से अन्य निवासीगण उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत तरमीम शुद्धि करवाकर वादगत खसरा नम्बर 787 की भूमि जो गै.मु. आबादी के रूप में तथा खसरा नम्बर 789 की भूमि को गै.मु. गोचर के रूप में रिकार्ड दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकार रखते है। यह है कि वादीगण व अन्य ग्राम वासियो ने कई बर मौखिक व लिखित रूप से वादगत खसरान भूमि के रिकार्ड दुरूस्ति करने का निवेदन प्रतिवादी को किया है, परन्तु प्रतिवादी ने दिनांक 20.05.2022 को कहा कि हम वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार जिस गोचर भूमि पर आबादी बसी है, उसे हम खाली करायेगे तथा सभी को बेदखल कर देगे। वादीगण ने प्रतिवादी को समस्त दस्तावेजो की जानकारी देकर वादगत खसरान भूमि की तरमीम शुद्धि करने का निवेदन भी किया तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। वादीगण व ग्राम वासियो नका यही वादाधार व वादकारण जो प्रतिवादी के विरूद्ध दिनाक 20.05.2022 को प्राप्त हुआ है। यह है कि प्रतिवादी वादीगण व ग्रामवासियो को उनकी रिहायशी भूमि से गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में बेदखल कर देना चाहते है। वादीगण व ग्रामवासी वर्तमान खसरा नम्बर 787 की भूमि पर घनी आबादी के रूप में बसे है, यदि प्रतिवादी वादीगण व अन्यो को बेदखल करने में कामयाब हो गया तो आमजन को असुविधा होगी, इसलिये वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। यह है कि प्रस्तुत दावा न्यायालय श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। यह है कि प्रस्तुत दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर व अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादीगण का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया गया है:–

(क) कि वर्तमान खसरा नम्बर 787 तादादी 10.010 हैक्टेयर भूमि रोही ठुकरियासर को गै.मु. गोचर के स्थान पर गै.मु. आबादी तथा वर्तमान खसरा नम्बर 787 व 789 रोही ठुकरियासर के राजस्व एक्स में मौका अनुसार राजस्व टीम से पैमाईश करवाकर गै.मु. आबादी व गै.मु. गोचर दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को दिया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाया जावे।

(ख) कि चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री खिलाफ प्रतिवादी जारी की जावे कि वादीगण व अन्य आबाद लोगो को वर्तमान खसरा नम्बर 787 से बेदखल नहीं करे, ना ही उनके रिहायश में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न करे, ना ही कोई ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करे, जिससे वादीगण व [illegible]वासियों के हितो पर विपरित असर पड़ता हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।
(घ) कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण व खिलाफ प्रतिवादी हो, आज्ञाप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया। दौराने बहस यह ध्यान में आया है कि उक्त वाद मे ग्राम पंचायत ठुकरियासर को भी सुना जाना आवश्यक होने पर सुओमोटो ग्राम पंचायत ठुकरियार को प्रतिवादी संख्या 02 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। ग्राम पंचायत प्रतिवादी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व संलग्न मौकानुसार तैयार की गई मैट्रिक शीट शामिल मिसल की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावें के विशेष कथन में वादगत खसरान भूमि खसरा नंबर 787 व 789 दोनो ही खसरान की तरमीम ऑनलाईन व ऑफलाईन मौका अनुसार वास्तु स्थिति से भिन्न हुई है जो अशुद्ध है। जवाब दावा में वादी द्वारा प्रस्तुत दावें में चाहे गये अनुतोष से प्रतिवादी पक्ष जवाब दावें से सहमत है इसलिये विचारधीन दावा में कोई तनकी प्रस्तावित नहीं हुई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजो को साक्ष्य के माध्यम से प्रर्दश करवाये गये है। प्रतिवादी द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उभय पक्षकारान पत्रावली पर बहस करना चाहतें है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली को अवलोकन किया गया। ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में सन् 1975 तक खसरा नम्बर 484 तादादी 90 बीघा 07 बिस्वा भूमि मसाणा गोचर के नाम से दर्ज चली आ रही थी। जिसका राजस्व नक्शा तरमीम किया हुआ है। सन् 1975 में उपरोक्त मूल साबिका खसरा के दो टुकड़े राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर इन्तकाल संख्या 135 के जरिये 484 मीन अलग कायम कर 50 बीघा 15 बिस्वा भूमि आबादी भूमि के रूप में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2047 में खसरा नम्बर 950/484 तादादी 50 बीघा 15 बिस्वा दर्ज हुई है शेष खसरा नम्बर 901/484 तादादी 39 बीघा 19 बिस्वा गोचर भूमि दर्ज की गई। उक्त आबादी भूमि मूल साबिका खसरा नम्बर 484 से कायम की गई है। यह है कि राजस्व रिकार्ड के साबिका खसरा नम्बर 484 की आबादी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 789 तादादी 12.84 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी स्टेट द्वारा जवाब दावा, मय दस्तावेज के अवलोकन में यह पाया गया है कि भू-प्रबन्ध विभाग ने नई आबादी भूमि नक्श में तरमीम तो कर दी परन्तु जिस स्थान पर आबादी भूमि काटी गई थी वह तरमीम थोडी भिन्न कर दी है। प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे की ताईद में यह कथन भी आया है कि ऑनलाईन अशुद्ध तरमीम को सुद्ध करनें हेतु सीमारेखांकन के लिये मट्रिक नक्श प्रस्तुत हुआ है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.01.2023 के अवलोकन से से भी यह स्पष्ट है कि आवंटित आबादी भूमि सडक के दक्षिण तरफ है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आबादी भूमि की आवश्यकता होने पर गोचरभूमि में से आबादी के लिये भूमि आंवटित की गई। इन तथ्यों व दस्तावेजो के आधार पर वादी के पक्ष में यह तथ्य आया है कि खसरा नंबर 787 तादादी 10.01 हैक्टेयर रोही ठुकरियासर की भूमि पर आबादी वर्षो से स्थापित है। तथा खसरा नंबर 789 की भूमि जो वर्तमान रिकार्ड में गेर मुमकिन आबादी है। उक्त खसरा भूमि पर आबादी होने के कोई तथ्य प्रतिवादी द्वारा नहीं बतायें गये हे। प्रतिवादी द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौक़ा स्थिति से भिन्न स्थिति है जो कि वादी के दावें के पक्ष में साबित है। प्रतिवादी द्वारा वादी के अनुतोष को आंशिक रूप से स्वीकार कर मट्रिक विस्तृत नक्शा वर्तमान रिकार्ड व मौका स्थिति अनुसार तैयार कर वादी के दावे के कथनों को दबे जुबान में स्वीकार किया है। चिरनिषेधाज्ञा का अनुतोष बाबत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वादी पक्षा द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के रिहायशी मकानात व खसरा नंबर 787 पर घनी आबादी बसी होना जवाब दावा में स्वीकार किया है। संक्षेप में स्टेट व प्रतिवादी संख्या 2 को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वर्तमान वादगत खसरान भूमि की मौका स्थिति संदर्भ में विस्तुत नक्शा मैट्रिक शीट पर तैयार कर पेश हुआ है जिससे वादी पक्ष स्वीकार करता है अतः वादी वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

रोही ग्राम ठुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ के वर्तमान खसरा नम्बर 787 तादादी 10.010 हैक्टेयर गैर मुमकिन गोचर व वर्तमान खसरा नंबर 789 गैर मुमकिन आबादी की तरमीम राजस्व नक्शा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मैट्रिक शीट में दर्शित रेंखाकित सीमाओ के अनुसार खसरान भूमि की राजस्व नक्शा में तरमीम कर शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक २९.११.२०२४ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

1. हड़मानाराम उम्र 71 वर्ष पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मालाराम उम्र 55 वर्ष पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. कुंभाराम उम्र 63 वर्ष पुत्र किशनाराम जाति बावरी निवासी ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 104/2022

दावा बाबत चिरनिषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः 29.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री ललित कुमार मारू अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज व प्रतिवादी सं. 2 की ओर से श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि रोही ग्राम ढुकरियासर तहसील श्रीडूंगरगढ के वर्तमान खसरा नम्बर 787 तादादी 10.010 हैक्टेयर गैर मुमकिन गोचर व वर्तमान खसरा नंबर 789 गैर मुमकिन आबादी की तरमीम राजस्व नक्शा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मैट्रिक शीट में दर्शित रेंखाकित सीमाओ के अनुसार खसरान भूमि की राजस्व नक्शा में तरमीम कर शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 29 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0
6.कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0
योग	0

प्रतिवादी	रूपया
1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्लीडर की फीस	0
4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5. आदेशिका की तामिल	0
6. कमिश्नर की फीस	0
योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)